



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P. Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या : 55-अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2021-प्रोन्नति(2ब)/2020-21

दिनांक: 18 अगस्त, 2021

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा, श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा (2010263), अधिशासी अभियन्ता (सं०) निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पा० का० लि० को रेस्पो ईकाई में गठित क्वालिटी सेल में तैनात करते हुए, निम्नलिखित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं अनुश्रवण (Monitoring) करने हेतु आदेशित किया जाता है:-

1. वितरण निगमों के द्वारा क्रय किये जाने वाले मुख्य सामग्री यथा- पावर एवं वितरण परिवर्तकों, कंडक्टर्स, केबिल्स एवं मीटर्स की गुणवत्ता तथा तकनीकी विशिष्टि (Technical Specification) का मानकीकरण (Standardisation)।
2. विभिन्न टर्न-की कान्ट्रैक्ट के द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार की योजनाओं में प्रयोग की जाने वाली मुख्य सामग्रियों की विशिष्टि (Specification) का मानकीकरण (Standardisation)।
3. वितरण निगमों के भण्डार केन्द्रों में सामग्री का रख-रखाव, अवशेष सामग्री, अभिलेखों इत्यादि का अनुश्रवण (Monitoring) एवं मानकीकरण (Standardisation)।
4. परिवर्तक रिपेयर कार्यशालाओं में रिपेयर कार्यों, रिपेयर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का भण्डारण, क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के रिपेयर कार्यों की पूर्ण प्रोसेस का मानकीकरण (Standardisation) एवं कार्यशालाओं में उचित हाउसकीपिंग का अनुश्रवण (Monitoring)।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 55(1) अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र० पा० का० लि०/उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि०, लखनऊ।
- 2- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र० पा० का० लि०/उ०प्र० पा० ट्रा० समिशन का० लि०।
- 3- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पा० का० लि०/उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पा० का० लि०, लखनऊ।
- 5- उप सचिव (गोपन), उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(सदानन्द)

उप सचिव

र